

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(35)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 26-12-2022

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार करौली एवं हनुमानगढ़ जिले में कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजक को कॉलम सं04 में वर्णित रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं01 हिण्डौनसिटी, जिला करौली	श्री दिनेश चन्द शर्मा (आर/364/1999)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 हिण्डौनसिटी, जिला करौली
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं02 हिण्डौनसिटी, जिला करौली	श्री विजेन्द्र सिंह निरंकारी (आर/2036/2003)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02 हिण्डौनसिटी, जिला करौली
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संगरिया, जिला हनुमानगढ़	श्री गुरलाल सिंह (आर/2187/2012)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संगरिया, जिला हनुमानगढ़

आज्ञा से


२०

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


26/12/22
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण